न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 934 / 2024

अनवान : –

1. सुरजीत राम पुत्र बरयाम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम्

1. भूरो कौर पत्नी भजन राम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. जसवन्त पुत्र भजनराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. दानी बाई पुत्री बरयाम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. प्यारी कौर पत्नी तेजाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. मलकीत पुत्र तेजाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. सीतो कंवर पुत्री तेजाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. गुलो पत्नी प्यारा राम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. बीराराम पुत्र प्यारा जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. रणजीत राम पुत्र प्यारा राम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. अमरो कौर पुत्री प्यारा राम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. परमजीत कौर पत्नी दर्शना राम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. मनप्रित पुत्र दर्शनराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. लखवीर कौर पुत्री दर्शन राम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
14. राजविन्द्र राम पुत्र मलकन जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 19/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 58 / 58 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में से तेजाराम पुत्र लाधुराम संयुक्त रूप से 5 / 37 हिस्सा, बरयाम पुत्र मंगाराम संयुक्त रूप से 5 / 37 हिस्सा, मंगाराम पुत्र निहालाराम संयुक्त रूप से 5 / 37 हिस्सा, मंगाराम पुत्र बलाराम संयुक्त रूप से 5 / 37 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:59 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता बरयाम पुत्र मंगाराम का ... हो चुका है उनकी पत्नी करतौर कौर भी फौत हो चुके है तथा उनकी पत्नी करतार कौर का भी देहान्त हो चुका है एवं उनका एक पुत्र भजना राम का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ता 3 है एवं तेजाराम पुत्र लाधुराम भी फौत हो चुका है तथा तेजाराम के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 है एवं मंगाराम पुत्र निहाला राम भी फौत हो चुका है तथा मंगाराम की पत्नी पेड़ा कौर भी फौत हो चुकी है तथा उनका एक पुत्र प्यारा राम भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 है तथा मलकन पुत्र बलाराम भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 14 है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 9, 10 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 11,12,13 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 58/58 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 5/37 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक तेजाराम पुत्र निहाल, बरयाम पुत्र मंगाराम, मंगाराम पुत्र निहालाराम, मलकन पुत्र बलाराम का नाम जमाबंदी से कलमजन किया जावे। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 14 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण प्याराराम, भजनराम, भगवानाराम पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 58/58 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में से तेजाराम पुत्र लाधुराम संयुक्त रूप से 5/37 हिस्सा, बरयाम पुत्र मंगाराम संयुक्त रूप से 5/37 हिस्सा मंगाराम पुत्र निहालाराम संयुक्त रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5/37 हिस्सा, मंगाराम पुत्र बलाराम संयुक्त रूप से 5/37 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादी के पिता बरयाम पुत्र मंगाराम का स्वर्गवास हो चुका है उनकी पत्नी करतौर कौर भी फौत हो चुके है तथा उनकी पत्नी करतार कौर का भी देहान्त हो चुका है एवं उनका एक पुत्र भजना राम का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है एवं तेजाराम पुत्र लाधुराम भी फौत हो चुका है तथा तेजाराम के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 है एवं मंगाराम पुत्र निहाला राम भी फौत हो चुका है तथा मंगाराम की पत्नी पेड़ा कौर भी फौत हो चुकी है तथा उनका एक पुत्र प्यारा राम भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 है तथा मलकन पुत्र बलाराम भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 14 है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 9, 10 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 11,12,13 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 58/58 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 5/37 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक तेजाराम पुत्र निहाल, बरयाम पुत्र मंगाराम, मंगाराम पुत्र निहालाराम, मलकन पुत्र बलाराम का नाम जमाबंदी से कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 58/58 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में से तेजाराम पुत्र लाधुराम संयुक्त रूप से 5/37 हिस्सा, बरयाम पुत्र मंगाराम संयुक्त रूप से 5/37 हिस्सा, मंगाराम पुत्र निहालाराम संयुक्त रूप से 5/37 हिस्सा, मंगाराम पुत्र बलाराम संयुक्त रूप से 5/37 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादी के पिता बरयाम पुत्र मंगाराम का स्वर्गवास हो चुका है उनकी पत्नी करतौर कौर भी फौत हो चुके है तथा उनकी पत्नी करतार कौर का भी देहान्त हो चुका है एवं उनका एक पुत्र भजना राम का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है एवं तेजाराम पुत्र लाधुराम भी फौत हो चुका है तथा तेजाराम के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 है एवं मंगाराम पुत्र निहाला राम भी फौत हो चुका है तथा मंगाराम की पत्नी पेड़ा कौर भी फौत हो चुकी है तथा उनका एक पुत्र प्यारा राम भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है तथा मलकन पुत्र बलाराम भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 14 है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 9, 10 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 11,12,13 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 58/58 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 5/37 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक तेजाराम पुत्र निहाल, बरयाम पुत्र मंगाराम, मंगाराम पुत्र निहालाराम, मलकन पुत्र बलाराम का नाम जमाबंदी से कलमजन किया जावे, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार मृतक मंगाराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 58/58 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 5/37 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक तेजाराम पुत्र निहाल, बरयाम पुत्र मंगाराम, मंगाराम पुत्र निहालाराम, मलकन पुत्र बलाराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:59 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 934/2024

अनवान : –

1. सुरजीत राम पुत्र बरयाम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. भूरो कौर पत्नी भजन राम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. जसवन्त पुत्र भजनराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. दानी बाई पुत्री बरयाम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. प्यारी कौर पत्नी तेजाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. मलकीत पुत्र तेजाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. सीतो कंवर पुत्री तेजाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. गुलो पत्नी प्यारा राम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. बीराराम पुत्र प्यारा जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. रणजीत राम पुत्र प्यारा राम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. अमरो कौर पुत्री प्यारा राम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. परमजीत कौर पत्नी दर्शना राम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. मनप्रित पुत्र दर्शनराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. लखवीर कौर पुत्री दर्शन राम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
14. राजविन्द्र राम पुत्र मलकन जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 934 सन 2024 निर्णय दिनांक - 19/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 58/58 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 5/37 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 5/37 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक तेजाराम पुत्र निहाल, बरयाम पुत्र मंगाराम, मंगाराम पुत्र निहालाराम, मलकन पुत्र बलाराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:59 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर